न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं0 156 / 2026 अनवान पृथ्वीसिंह बनाम बालाराम वगैरा

दिनांक 17.03.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बायतु, हाल जिला बाडमेर द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन संख्या 70/2025 में पारित आदेश दिनांक 16.06.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 4–प्रार्थी–बालाराम पुत्र रूगनाथराम वगैरा ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील बायतु स्थित ग्राम गोदारों की ढाणी के ख.नं. 924/807 व 926/743 की उल्लेखित रकबा भूमि की नेखमबंदी करवाने का आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–विप्रार्थी सं0 1–पृथ्वीसिंह पुत्र मंगलसिंह ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट उपस्थित। बहस एकतरफा सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलार्थी ग्राम गोदारों की ढाणी के ख0नं0 744, 745, 746 व 808 की भूमि के खातेदार काश्तकार है। जिसके लगोलग रेस्पो0सं0 1 से 4 प्रार्थी के वादग्रस्त खसरान की भूमि स्थित है। आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.5.25 को नियत की गई। प्रकरण में नोटिस तामिल की सूचना आये बिना अगली तारीख पेशी दिनांक 09.06.25 को ही एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए, अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। अपीलाधीन आदेश बिना सीमाज्ञान रिपोर्ट के पारित किया गया है। मौके पर वक्त सेटलमेंट पूर्व से अपीलांट की पक्की सेढा माठ बनी हुई है। आलौच्य प्रकरण में अन्य पडौसी खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है तथा भूमिधारी तहसीलदार बायतु को पक्षकार नही बनाया गया व न ही तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई। अत अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित होने निरस्त फरमाने तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 4– प्रार्थी–

बालाराम पुत्र रुगनाथराम वगैरा द्वारा प्रस्तुत आवेदन में भूमिधारी तहसीलदार बायतु को पक्षकार नही बनाया गया और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनसे रिपोर्ट प्राप्त की गई। अपीलाधीन बिना सीमाज्ञान रिपोर्ट के तथा विप्रार्थीगण–अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि अपील के साथ प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं एवं अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से होती है। चूंकि अपीलांट–विप्रार्थी सं0 1 हस्तगत अपील के माध्यम से उक्त प्रकरण में सुनवाई चाहता है। अतः न्यायहित में उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु हाल जिला बाडमेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 70/2025 बअनवान बालाराम वगैरा बनाम पृथ्वीसिंह वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2025 एवं उक्त कम में पारित आदेश कमांक 565–70 दिनांक 16.06.2025 निरस्त किये जाते है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह ग्राम गोदारों की ढाणी के वादग्रस्त ख.नं. 924/807 व 926/743 की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान की सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 17/3/26 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर